ग्राहक चार्टर

भूमि संसाधन विभाग

ग्रामीण विकास मंत्रालय

पता: एनबीओ बिल्डिंग, जी-विंग, निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110011
वेबसाइट आई.डी. : www.dolr.nic.in
जारी करने की तारीख : जनवरी, 2011
अगली समीक्षा : जनवरी, 2012

दृष्टिकोण

विभाग के दृष्टिकोण में एक कारगर भूमि उपयोग नीति को शामिल किया गया है, जिसमें सतत् उत्पादकता में वृद्धि के लिए वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि तथा बंजरभूमि के ईष्टतम उपयोग, कुशल संपत्ति अभिलेख प्रबंधन प्रणालियों, एक यथार्थ भूमि सूचना प्रणाली और संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि देश में समुचित भूमि प्रबंधन और भूमि सूचना प्रणाली(एलआईएस) को सुनिश्चित किया जा सके।

लक्ष्य

विभाग का वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में निर्णय लेने में भागीदारों को शामिल करते हुए एक भागीदारी पद्धति के जरिए वर्षासिंचित कृष्य एवं अवक्रमित भूमि के सतत् विकास को सुनिश्चित करना है। यह बंजरभूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संबंधी अवसरों में वृद्धि हो सके।

विभाग का लक्ष्य निश्चायक स्वामित्वाधिकार और स्वामित्व गारंटी की प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य के साथ कारगर भूमि उपयोग नीति, और एक पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली(एल.आर.एम.एस.) सहित कारगर कृषि सुधारों को लागू करना भी है। भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली(एल.आर.एम.एस.) समग्र देश के लिए एक यथार्थ भूमि सूचना प्रणाली(एल.आई.एस.) तैयार करने के लिए आधार प्रदान करेगी।

मुख्य सेवाएं

क्रम सं0	सेवाएं	भार प्रतिशतता	जबावदेह व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	फोन सं0	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज
1.	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत सभी राज्यों के लिए वार्षिक अनंतिम लक्ष्यों का निर्धारण	10	श्री सुरेंद्र कुमार, उपमहानिरीक्षक(डब्ल्यू.एम.)	kumar.surendra@nic.in	24362569	●राज्यों के लिए अनुमोदित वेटेज/भार के आधार पर प्रस्ताव तैयार करना। ●सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन। ●राज्यों को आबंटन के बारे में सूचित करना।	--
2.	आईडब्ल्यूएमपी के तहत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन	15	श्री सुरेंद्र कुमार, उपमहानिरीक्षक(डब्ल्यू.एम.)	kumar.surendra@nic.in	24362569	●राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति ●कार्यक्रम अधिकारियों [उपमहानिरीक्षक (डब्ल्यू.एम.), निदेशक (डब्ल्यू.एम.) और उपायुक्त(डब्ल्यू.एम.)] द्वारा संवीक्षा। ●सचिव(भूमि संसाधन) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति, एक बहुविधा समिति, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल हों, द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन। ●समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों को वेबसाइट और डाक के जरिए सूचित करना।	● राज्य संदर्शी एवं कार्यनीतिपरक योजना (एसपीएसपी) (एक-बार) ● प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टों(पीपीआर) के साथ-साथ वार्षिक प्रस्ताव। ● राज्यों द्वारा संचालन समिति के समक्ष इसके विचारार्थ एक प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण, जिसमें पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में की गई प्रगति की समीक्षा शामिल हो।

क्रम सं0	सेवाएं	भार प्रतिशतता	जबावदेह व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	फोन सं0	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज
3.	आईडब्ल्यूएमपी के तहत एसएलएनए से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय सहायता जारी करना		श्री सुरेंद्र कुमार, उपमहानिरीक्षक(डब्ल्यू.एम.) (राज्य- आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड)	kumar.surendra@nic.in	24362569	• वित्तीय सहायता के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए एसएलएनए से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति। • कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही और संयुक्त सचिव (डब्ल्यू.एम.) द्वारा अनुमोदन। • एकीकृत वित्त प्रभाग(आई.एफ.डी.) की सहमति। • कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) द्वारा धनराशि जारी करना।	<u>प्रथम किस्त के लिए</u> • एसएलएनए से स्वीकृति आदेश • परियोजनाओं की विस्तृत सूची • एसएलएनए से इस बात का प्रमाण-पत्र कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी संतोषजनक है। <u>बाद की किसी भी किस्त के लिए</u> • परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति • उपयोग प्रमाण-पत्र • लेखों का लेखापरीक्षित विवरण • जारी करने के समय कोई भी अन्य दस्तावेज, जो आवश्यक समझे जाएं।
		20	श्री वी.एम.अरोड़ा निदेशक(डब्ल्यू.एम.) (राज्य– उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा)	vm.arora@nic.in	24364602		
			डॉ0 सी.पी.रेड्डी उपायुक्त(डब्ल्यू.एम.) (राज्य– बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और प0 बंगाल)	drcpreddy@nic.in	24360946		□

क्रम सं0	सेवाएं	भार प्रतिशतता	जबावदेह व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	फोन सं0	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज
4.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम(डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत प्रस्तावों को वित्तीय सहायता(दूसरी से सातवीं किस्त) जारी करना।	20	श्री सुरेंद्र कुमार, उपमहानिरीक्षक(डब्ल्यू.एम.) (सभी 20 गैर-पूर्वोत्तर राज्यों में आईडब्ल्यूडीपी परियोजनाएं)	kumar.surendra@nic.in	24362569	•वित्तीय सहायता के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों से परियोजना-वार पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति। • कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही और संयुक्त सचिव (डब्ल्यू.एम.) द्वारा अनुमोदन। • एकीकृत वित्त प्रभाग(आई.एफ.डी.) की सहमति। •कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) द्वारा धनराशि जारी करना।	• विभिन्न किस्तों के लिए विनिर्धारित अलग –अलग दस्तावेज , ब्यौरा www.dolr.nic.in पर है।
			श्री वी.एम.अरोड़ा निदेशक(डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी-पूर्वोत्तर) (सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में आईडब्ल्यूडीपी परियोजनाएं और सभी डीडीपी परियोजनाएं)	vm.arora@nic.in	24364602		
			डॉ0 सी.पी.रेड्डी उपायुक्त (डीपीएपी) (सभी डीपीएपी परियोजनाएं)	drcpreddy@nic.in	24360946		
5.	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	15	श्री चरणजीत सिंह, निदेशक(भू0सु0)	dir-lr@nic.in	23062456	•वित्तीय सहायता के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति। •प्रभाग द्वारा प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही करना तथा राज्यों को संशोधन, यदि अपेक्षित हों, के लिए सलाह देना। • एकीकृत वित्त प्रभाग(आई.एफ.डी.) की सहमति। •कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) द्वारा धनराशि जारी करना।	•राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संदर्शी योजना (एसपीपी)(एक-बार) •विनिर्धारित प्रोफार्मा में वार्षिक प्रस्ताव •पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति।

क्रम सं0	सेवाएं	भार प्रतिशतता	जबावदेह व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	फोन सं0	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज
6.	एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों/ पटवारी प्रशिक्षण विद्यालयों को वित्तीय सहायता	10	श्री चरणजीत सिंह, निदेशक(भू0सु0)	dir-lr@nic.in	23062456	• वित्तीय सहायता के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति। • प्रभाग द्वारा प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही करना तथा राज्यों को संशोधन, यदि अपेक्षित हों, के लिए सलाह देना। • एकीकृत वित्त प्रभाग(आई.एफ.डी.) की सहमति। • कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) द्वारा धनराशि जारी करना।	•विनिर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव •पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति।
7.	शीघ्र शिकायत निवारण	10	डॉ0 आर.एम. मिश्रा, उप महानिरीक्षक(प्रशासन)	misra.rm@nic.in	23063160	• पावती देना। • यदि अपेक्षित हो तो मध्यवर्ती प्रगति से अवगत कराना। • प्रत्येक शिकायत को अंतिम रूप से बंद करने की सूचना देना।	

सेवा मानकों की अपेक्षाएं

क्रम सं0	सेवाएं	सेवा पर भार	सफलता सूचक	सेवा मानक	इकाई	भार	डॉटा स्त्रोत	मूल्यांकन मानदंड					निष्पादन		
								उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष-जनक	खराब	उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
								100%	90%	80%	70%	60%			
1.	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत सभी राज्यों के लिए वार्षिक अनंतिम लक्ष्यों का निर्धारण	10	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 31 मार्च से पहले	31 मार्च	तारीख	10	मंत्रालय रिकार्ड	15 मार्च	31 मार्च	15 अप्रैल	30 अप्रैल	15 मई			
2.	आईडब्ल्यूएमपी के तहत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन	15	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	30	दिन	15	मंत्रालय रिकार्ड	25	30	35	40	45			
3.	आईडब्ल्यूएमपी के तहत एसएलएनए से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय सहायता जारी करना	20	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	20	मंत्रालय रिकार्ड	40	45	50	55	60			
4.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम(डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत प्रस्तावों को वित्तीय सहायता जारी करना।	20	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	20	मंत्रालय रिकार्ड	40	45	50	55	60			

क्रम सं0	सेवाएं	सेवा पर भार	सफलता सूचक	सेवा मानक	इकाई	भार	डॉटा स्त्रोत	मूल्यांकन मानदंड					निष्पादन		
								उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष-जनक	खराब	उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
								100%	90%	80%	70%	60%			
5.	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	15	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	15	मंत्रालय रिकार्ड	40	45	50	55	60			
6.	एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों/ पटवारी प्रशिक्षण विद्यालयों को वित्तीय सहायता	10	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	10	मंत्रालय रिकार्ड	40	45	50	55	60			

क्रम सं0	सेवाएं	सेवा पर भार	सफलता सूचक	सेवा मानक	इकाई	भार	डॉटा स्त्रोत	मूल्यांकन मानदंड					निष्पादन		
								उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष-जनक	खराब	उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
								100%	90%	80%	70%	60%			
			मामले में अंतिम निर्णय लेने की तारीख से शिकायत को अंतिम रूप से बंद करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिया गया औसत समय	10	कार्य दिवस	4		8	10	14	18	20			
	योग	**100**				**100**									

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत दर्ज कराने हेतु वेबसाइट का यू.आर.एल. – http://pgportal.gov.in

क्रम सं0	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	दूरभाष(लैंडलाइन नं0)	ई-मेल
1.	डॉ0 आर.एम.मिश्रा□ उपमहानिरीक्षक(प्रशासन)	23063160	misra.rm@nic.in

भागीदार

क्रम सं0	भागीदार
1.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र विभाग
2.	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां(एसएलएनए)
3.	वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-आंकड़ा केंद्र(डब्ल्यू.सी.डी.सी.)
4.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां(पी.आई.ए.)
5.	वाटरशेड विकास दल(डब्ल्यू.डी.टी.)
6.	पंचायती राज संस्थाएं(पी.आर.आई.)
7.	वाटरशेड समितियां(डब्ल्यू.सी.)
8.	स्व-सहायता समूहों(एस.एच.जी) और प्रयोक्ता समूहों(यू.जी.) सहित वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति
9.	प्रशिक्षण संस्थान
10.	राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण(एनआरएए)
11.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(एनआईसी)
12.	केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग
13.	स्वायत्त निकाय
14.	गैर-सरकारी संगठन(एनजीओ)
15.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान(ए.टी.आई)/सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान(एस.टी.आई.) / पटवार प्रशिक्षण विद्यालय(पी.टी.एस.)

उत्तरदायित्व केंद्र तथा अधीनस्थ संगठन

इस विभाग का कोई उत्तरदायित्व केंद्र अथवा अधीनस्थ संगठन नहीं है।

सेवा प्राप्तकर्त्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्र0 सं0	ग्राहकों से अपेक्षाएं
1.	राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों (www.dolr.nic.in पर उपलब्ध) के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) तथा अन्य संस्थागत संरचाएं स्थापित करनी चाहिए तथा एस.एल.एन.ए. के जरिए वाटरशेड परियोजनाओं के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए ।
2.	राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थाओं में तैनात किए गए कार्मिक को जल्दी-जल्दी स्थानांतरित नहीं किया जाए ताकि कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें समुचित समयावधि मिल सके।
3.	राज्य सरकारों को राज्य का हिस्सा समय पर जारी करना चाहिए।
4.	एस.एल.एन.ए. को ब्लॉक/जिला स्तर पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर राज्य के लिए वाटरशेड विकास की संदर्शी तथा कार्यनीति योजना तैयार करनी चाहिए और कार्यान्वयन कार्यनीति तथा संभावित प्राप्ति/परिणाम, वित्तीय परिव्यय दर्शाना चाहिए तथा जिलों द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पी.पी.आर.) के साथ भूमि संसाधन विभाग को प्रस्तुत करनी चाहिए।
5.	एस.एल.एन.ए. को संचालन समिति द्वारा आकलित परियोजनाओं के आधार पर राज्य को परियोजनाएं स्वीकृत करनी चाहिए।
6.	एस.एल.एन.ए. को डब्ल्यू.सी.डी.सी. और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय स्वीकृति की सूचना देनी चाहिए और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
7.	एस.एल.एन.ए. को स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी रूप से उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए और भूमि संसाधन विभाग को वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिएं।
8.	एस.एल.एन.ए. को समय-समय पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
9.	एस.एल.एन.ए. को ऑन-लाइन मॉनीटरिंग सहित विभिन्न स्तरों पर निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए।

क्र0 सं0	ग्राहकों से अपेक्षाएं
10.	एस.एल.एन.ए. को भूमि संसाधन विभाग/राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण/संसाधन संगठनों के परामर्श से राज्य विशिष्ट प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धान्त, तकनीकी मैनुअल आदि तैयार करने चाहिएं तथा उन्हें लागू करना चाहिए ।
11.	एस.एल.एन.ए./ राज्य सरकार को डी.डी.पी.,डी.पी.ए.पी., आई.डब्ल्यू.डी.पी. और आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने हेतु पूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए । पूर्ण प्रस्ताव का अर्थ वाटरशेड प्रभाग द्वारा समय-समय पर जारी मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित सभी दस्तावेजों सहित एस.एल.एन.ए./ राज्य से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव से होगा जो एकीकृत वित्त प्रभाग को एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार्य हो तथा जो आगे और कोई ब्यौरा अथवा स्पष्टीकरण मांगे बिना वित्तीय सहमति के योग्य हो।
12.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएलआरएमपी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संदर्शी योजना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए ।
13.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों और एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ/केंद्र के लिए निधियां जारी करने संबंधी पूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। एनएलआरएमपी के अंतर्गत पूर्ण प्रस्ताव का अर्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व विभाग से निर्धारित प्रोफार्मा में सभी अपेक्षित दस्तावेजों और भूमि सुधार प्रभाग द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचना सहित प्राप्त प्रस्ताव से होगा।
14.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएलआरएमपी के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निधियां (केंद्र और राज्य का हिस्सा) जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।
15.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जबावदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
16.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएलआरएमपी की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन सुनिश्चित करना चाहिए तथा इसकी नियमित बैठकें आयोजित करनी चाहिएं।

****